इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] भोपाल, गुरूवार दिनांक 17 फरवरी 2011—माघ 28, शक 1932

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2011

क्र. एफ-2-16-2008-तेरह.—यत:, विद्युत् अधिनियम (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ-2-16-2008-तेरह, दिनांक 26 जुलाई, 2010 द्वारा राज्य की तीन वितरण कंपनियों अर्थात् मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कंपनियाँ है, के कार्यपालन यंत्रियों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 33 किलोवोल्ट लाईनों को छोड़ते हुए, विद्युत् कार्यों तथा संस्थापन के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन विद्युत् निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करने के लिये विद्युत् निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है;

और यत:, राज्य सरकार का उक्त तीन वितरण कंपनियों के अधीन विभिन्न योजनाओं जैसे फीडर विभक्तिकरण, ए. डी. बी., आर-एपीडीआरपी तथा अन्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे विद्युतीकरण के विभिन्न कार्यों, मुख्य रूप से हानि में कमी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत् प्रदाय करने के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का भी आशय है;

और यत:, उपर्युक्त योजनाओं के अधीन अवसंरचना विकास के कार्य जैसे लाईनों तथा उपकेन्द्रों का निर्माण जारी है; और इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के उपबन्धों के अनुसार संस्थापन के साथ-साथ जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण की आवश्यकता है;

और यत:, यह आवश्यक है कि निश्चित समय सीमा के भीतर योजना को परिचालित करने हेतु ऐसे निरीक्षण कार्य को ऊर्जीकरण के पूर्व तत्परता से पूर्ण किया जाये तथा भारत सरकार/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए गए अनुसार प्रस्थापित फायदे प्राप्त करें अतएव, उपर्युक्त निरीक्षण कार्यों के लिए, उन्हें समय पर पूरा करने हेतु और अधिक संख्या में विद्युत् निरीक्षकों की आवश्यकता है;

अतएव, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त कंपनियों के कार्यपालन यंत्रियों को विद्युत् निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम के अधीन विभिन्न योजनाओं-जैसे कि फीडर विभक्तिकरण, ए. डी. बी., आर—एपीडीआरपी तथा अन्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत् कार्यों तथा 33 किलोवोल्ट से कम की लाइनों के संस्थापनों के संबंध में विद्युत् निरीक्षकों की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, सचिव.

No. F-2-16-2008-XIII.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government *vide* Notification No. F 2-16-2008-XIII dated 26th July 2010 has appointed the Executive Engineers of the three distribution companies of the State i. e. Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Jabalpur, Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Bhopal and Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Indore which are the companies incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) as Electrical Inspectors to exercise powers and perform the functions of Electrical Inspectors under the said Act in respect of the electrical works and installations under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna expect in respect of 33 kilovolts lines;

AND, WHEREAS the State Government also intends to expedite the different works of electrification under the said three distribution companies under various schemes such as Feeder Separation, A. D. B, R-APDRP and other Centrally Sponsored Schemes, mainly for loss reduction and better power supply to the consumers;

AND, WHEREAS the infrastructure development works like construction of lines and sub-stations under the aforesaid schemes are under execution and need inspection as per the provisions of Indian Electricity Rules, 1956 to ensure safety of the installation as well as the public;

AND, WHEREAS it is necessary to complete such inspection work with promptitude before energisation to make the scheme operational within the stipulated time and to avail benefits offered, as per sanction by the Government of India/ Financial Institutions, therefore, more number of electrical inspectors are required for the aforesaid inspection works for its timely completion;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the State Government hereby appoints the Executive Engineers of the said companies as Electrical Inspectors who shall exercise powers and perform the functions of Electrical Inspectors under the said Act In respect of the electrical works and installations below 33 kilovolts lines under the various schemes such as Feeder Separation, A. D. B., R-APDRP and other centrally sponsored schemes.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MOHD. SULEMAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.